न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, बाड़ी, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– नीरज कुमार R.J.S.(D.J.Cadre)
मुत0 फौज0 प्रकरण संख्याः– 273/2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 275/22 थाना बसेडी
अंतर्गत धारा 420, 406, 506 भा॰दं॰सं॰

राहुल कुमार पुत्र विष्णु निवासी सरैंधी थाना जगनेर जिला आगरा उत्तरप्रदेश।

– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक बाडी

– अप्रार्थी/अभियोगी

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 438 दं.प्र.सं.

उपस्थिति :

1. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक, राज. राज्य की ओर से।
3. श्री जगदीश प्रसाद लहचोरिया, अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

आदेश दिनांक 01.07.2022

न्यायालय द्वारा

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 दं॰प्र॰सं॰ उसके अधिवक्ता की ओर से इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक को सुना, केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का बहस में कथन है कि प्रार्थी शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है तथा झूंठे प्रकरण में स्थानीय पुलिस उसको गिरफतार करने को उसके निवास ग्रह पर चक्कर लगा रही है। प्रार्थी द्वारा संस्था की किसी भी राशि का गबन व दुरूपयोग नहीं किया है। गवाहान इस्तगासा से रंजिश है इसलिए उनके बिगाड़ने–धमकाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उक्त जुर्म की सजा आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रार्थी जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित कभी भी प्रार्थी को तलब किया जाता है तो वह अनुसंधान अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो जायेगा और अनुसंधान में पूर्णतयाः सहयोग प्रदान करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दस्तावेज पेश हुए।

4. विद्वान अधिवक्ता परिवादी व विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं सम्बन्धित केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी मुकेश शर्मा ने दिनांक 10.06.2022 को थाना बसेडी पर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि उनके ट्रस्ट की शैक्षणिक संस्थाएं एवं जमीन आदि ग्राम सरैंधी जिला आगरा में विद्यमान है जिनका संचालन एवं मैनेजमेंट आदि बसेडी कार्यालय द्वारा किया जाता है। उक्त

संस्थाओं एवं जमीन आदि की देखभाल राहुल शर्मा करता आ रहा है जो कि वहां का सारा लेनदेन एवं हिसाब–किताब भी रखता था। राहुल बसेडी स्थित कार्यालय में आकर समय–समय पर उसे हिसाब–किताब देता रहता था। उसी क्रम में 29.08.21 को हिसाब देते हुए 8,42,910/रूपये अपने पास होना बताया जिसकी प्रतियां संलग्न हैं। इस राशि को उसके द्वारा मांगे जाने पर राहुल नये–नये बहाने बनाकर टालमटूल करता रहा। उसके द्वारा कड़ाई से उक्त रूपये मांगने पर राहुल ने गाली देते हुए कहा कि रूपये मांगे तो हाथ–पैर तोड़ दूंगा और अगर यहां संस्था पर आओगे तो जान से मार दूंगा अर्थात् उक्त राशि मांगने पर हाथ–पैर तोड़ने एवं जान से मारने की धमकी दी तथा फिर मांगने पर भी हाथ–पैर तोड़ने एवं जान से मारने की बार–बार धमकी देता है .....आदि। जिस पर थाना बसेडी में मुकदमा संख्या 275/22 अन्तर्गत धारा 420, 406, 506 भा॰द॰सं॰ में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध 420, 406, 506 भा॰द॰सं॰ के अपराध का आरोप है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से पेश दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त राहुल कुमार ने इस प्रकरण के परिवादी मुकेश के खिलाफ न्यायालय अपर सिविल जज जू.डि./(एफ.टी.सी.), आगरा में धारा 156(3) सी.आर.पी.सी. के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु इस्तगासा पेश कर रखा है। परिवादी मुकेश द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त राहुल कुमार के विरूद्ध किये गये परिवाद की जांच में थानाधिकारी पुलिस थाना बसेडी ने यह पाया कि परिवादी एवं गैरसायल का आपसी पैसे का लेन–देन है। परिवादी एवं गैर सायल दोनों ही एक–दूसरे पर अपना–अपना पैसा बताते हैं। अब चूंकि इस प्रकरण में परिवादी मुकेश ने एफआईआर थाना बसेडी पर प्रार्थी/अभियुक्त राहुल कुमार के नाम से दर्ज कराई है। परिवादी मुकेश द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त राहुल कुमार को आठ लाख रूपये राघवेन्द्र दीक्षित व रामदीन के समक्ष देना बताया है एवं उक्त गवाहान ने भी इस बात की पुष्टि की है। प्रकरण अभी अनुसंधानरत है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे यह प्रकट होता हो कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त राहुल कुमार संलिप्त न हो और उसको झूंठा फंसाया गया हो। अतः समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत यह न्यायालय प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित नहीं पाता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र विष्णु निवासी सरैंधी थाना जगनेर जिला आगरा उत्तरप्रदेश की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दं॰प्र॰संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(नीरज कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश,
बाड़ी जिला धौलपुर

8. यह आदेश आज दिनांक 01.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नीरज कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश,
बाड़ी जिला धौलपुर